न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 43/2023

प्रार्थी

जब्बरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, जाति–राजपुत, निवासी–जुना जोगापुरा, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

श्री पुनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी के कायम मुकामः–

1/1. नारायणसिंह पुत्र पुनमसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जुना जोगापुरा,तह0 शिवगंज
1/2. दुर्जनसिंह पुत्र पुनमसिंह, जाति–राजपुत, निवासी–जुना जोगापुरा, तह0 शिवगंज
1/3. हुकमसिंह पुत्र पुनमसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–जुना जोगापुरा, तह0 शिवगंज
1/4. श्रीमती देवी कंवर पत्नी पुनमसिंह, जाति–राजपुत, निवासी– जुना जोगापुरा, तहसील– शिवराज, जिला सिरोही
1/5. श्रीमती सुकीकुंवर पुत्री श्री पुनमसिंह पत्नी श्री लालसिंह, जाति–राजपुत, निवासी–पोमावा, तहसील– सुमेरपुर, जिला पाली
1/6. श्रीमती रेखाकंवर पुत्री श्री पुनमसिंह पत्नी श्री हडमतसिंह, जाति–राजपुत, निवासी–जीवदा, तहसील– बाली, जिला पाली
2. ग्राम पंचायत जोगापुरा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जोगापुरा, जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अप्रार्थी संख्याः 1/4 व 1/5 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 16 जनवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा श्री पुनम सिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 1496 दिनांक 19–12–2001 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्याः 1/4 व 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्याः 1/4 व 1/5 की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–02 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा पुनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत के नाम जारी पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19–12–2001 विधि व तथ्यों के विरुद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी ग्राम जुना जोगापुरा, ग्राम पंचायत जोगापुरा का स्थायी निवासी है और परिवार सहित अपने बाप दादाओं के समय से निवास करता आ रहा है। प्रार्थी व पुनमसिंह सगे भाई है। पुनमसिंह का आज से करीब दो पूर्व कोरोनाकाल में स्वर्गवास हो चुका है और अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6, स्वर्गीय पुनमसिंह के वारिसान है तथा प्रार्थी निगरानीकार, स्वर्गीय पुनमसिंह जी का छोटा गाई है। प्रार्थी के पुराने कब्जे मालकी का एक आबादी भूखण्ड ग्राम जोगापुरा से आल्पा जाने वाले आम रास्ते पर

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आया हुआ है जिसकी चतुदर्शी उत्तर में पानी का नाला, दक्षिण में जोगापुरा से आल्पा जाने वाली सडक, पूर्व में रास्ता व पश्चिम में मोहन मीणा का मकान व पडत आबादी भूमि है तथा नाप उत्तर 45 फीट, दक्षिण 45 फीट, पूर्व 75 फीट व पश्चिम 75 फीट है। प्रार्थी उपरोक्त आबादी भूखण्ड पर वर्ष 1990 से कैलुपोश मकान बनाकर रहता था, तत्पश्चात् वर्ष 2006 की अतिवृष्टि में प्रार्थी का कैलुपोश मकान ढह जाने से गाँव में अन्यत्र निवास करने लगा और उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी ने वर्ष 1999 में 6 ट्रोली पत्थर डलवाये थे जो आज भी मौके पर पड़े है व जलाऊ लकडियों पड़ी है तथा प्रार्थी उक्त भूखण्ड को गोबर डालने व गायों को बांधने के उपयोग में ले रहा है। प्रार्थी ने वर्ष 2001 में उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने नाम जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत, जोगापुरा में आवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा नियमानुसार प्रार्थी को दिनांक 07–3–2002 को बुक संख्या 87, पट्टा संख्या 4411 जारी किया था। तब से प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी प्रार्थी के हक में है। प्रार्थी उपरवर्णित भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, जोगापुरा से सम्पर्क किया तब दिनांक 07–3–2002 को प्रार्थी को जानकारी हुई कि उक्त भूखण्ड जो प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व का है. उसके दक्षिणी भाग का पट्टा प्रार्थी के बड़े भाई पुनमसिंह ने ग्राम पंचायत, जोगापुरा को गलत तथ्य दर्शाते हुए अपने स्वयं के नाम उक्त भूखण्ड के आंशिक पट्टा संख्या 1496, दिनांक 19–12–2001 को जारी करवा दिया। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने अपने बडे भाई पुनमसिंह को इस संबंध में उलाहना दिया तो प्रार्थी के बड़े भाई (अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/6 के पिता) अर्थात पुनमसिंह ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रार्थी से क्षमायाचना की और प्रार्थी को कहा कि मुझसे गलती हो गयी है और उक्त भूखण्ड तेरा ही है, मैं लोगों को बातो में आ गया था, मैं अपनी गलती स्वीकार करने हुए उक्त भूखण्ड तेरा होना स्वीकार करता हूँ और उसी रोज प्रार्थी के भाई ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उनके नाम जारी असल पट्टा संख्या 1496 को प्रार्थी को सुपर्द कर दिया था। तब से उक्त भूखण्ड का जारी आंशिक पट्टा प्रार्थी के पास व कब्जे में है और अप्रार्थीगण की जानकारी में आज दिन तक उक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग प्रार्थी कर रहा है। वादग्रस्त पट्टा स्थल मौके पर खाली भूखण्ड है उस पर कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है, और न ही प्रार्थी के बड़े भाई पुनमसिंहजी या उनके वारिसान का उक्त स्थल पर निवास या गृह रहा है। पुनमसिंह जी का प्रारम्भ से ही गाँव में पुश्तैनी मकान में परिवार सहित निवास करते आ रहे है। प्रश्नगत पट्टा नियम 157 के अर्न्तगत जारी किया गया है जबकि उक्त नियम 157 में पुराने गृहो का विनियमितिकरण, पुराने गृह बने हुए होने पर ही किया जाकर पट्टा जारी किया जा सकता है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 1496 में दायरा दिनांक 18–12–2001 दर्शायी है और पट्टा जारी करने की दिनांक 19–12–2001 अंकित की है। इस प्रकार दायरा दिनांक के दुसरे ही दिन उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। पट्टे के अडौस पडौस के अवलोकन से भी प्रश्नगत भूखण्ड व आसपास में आबादी व निवास नहीं होना साबित होता है। प्रश्नगत पट्टे में ग्राम पंचायत की कोई संकल्प संख्या या दिनांक भी अंकित नहीं है और न ही पंचायत समिति या जिला परिषद से कोई मंजुरी या पुष्टि करवाई गयी है। पुनमसिंहजी, नियम 157 के अन्तर्गत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हुए भी गलत तर्क दर्शाते हुए ग्राम पंचायत से मेलमिलाप कर प्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति का फर्जी पट्टा जारी करवाया है। प्रश्नगत पट्टाग्रस्त सम्पति पर पूनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा आज भी उक्त भूमि को प्रार्थी उपयोग कर रहा है। पूनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह के वारिसान उक्त शून्य व अकृत पट्टे की आड में भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा श्री पूनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19—12—2001 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्याः 1/4 व 1/5 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1/4 व 1/5 के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा पूनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी के नाम से जारी पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19—12—2001 वैध एवं प्रभावी है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता नही है। प्रार्थी, स्वर्गीय पूनमसिंह जी का भाई है, लेकिन प्रार्थी द्वारा गलत चतुर्दशी बताकर उपरोक्त स्थल पर स्वयं का भूखण्ड़ बताया हैं, जबकि वादग्रस्त स्थल पर प्रार्थी का कोई भूखण्ड नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों व गलत तथ्यों से फर्जी पटटा संख्या 4411 बनवाया हैं। जोगापुरा से आल्पा जाने वाली सड़क पर प्रार्थी का कोइ भूखण्ड़ नहीं हैं। प्रार्थी के उपरोक्त अवैध पटटे मे भी जोगापुरा से आल्पा जाने वाली सड़क पर पूनम सिंह पुत्र प्रताप सिंह का पटटाशुदा भूखण्ड दर्शाया हैं, स्पष्ट हैं कि जोगापुरा से आल्पा जाने वाली सड़क पर उपरोक्त चतुर्दशी का प्रार्थी का कोई भूखण्ड नहीं हैं। हकीकत यह हैं कि पूनम सिंहजी के वारिसदार उनके पट्टाशुदा भूमि पर बतौर मालिक काबिज हैं, मौके पर पूनम सिंहजी व उनके वारिसदार द्वारा वर्ष 2022 में अपना पुराना केलूपोश मकान गिराकर उसके स्थान पर पक्का मकान बनाने हेतु पत्थर डलवाये थे, तथा उनके पुराने कदीमी मकान का नवनिर्माण शुरु करवाया था, परन्तु उस दरम्यान प्रार्थी द्वारा मौके पर झगड़े फिसाद करने तथा अन्य कारणों से उपरोक्त निर्माण नहीं करवाया जा सका। पूनम सिंहजी व उनके वारिसान द्वारा उपरोक्त भूमि पर के अपने पुराने मकान को वर्षो से बतौर मालिक उपयोग व उपभोग किया जा रहा हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने पुराने कच्चे केलूपोश मकान को गिराकर उसके स्थान पर पक्का निर्माण करवाने व नींव हेतु पत्थर डलवा कर निर्माण शुरू करने पर प्रार्थी द्वारा मौके पर आकर झगड़े किये जाने लगे तथा उपरोक्त मकान गिरा देने से उक्त बातों का नाजायज फायदा उठाकर पूर्णतः झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण की पट्टाशुदा भूमि को नाजायज रूप से हड़फने की बदनियति से यह निगरानी आवेदन पेश किया हैं। हकीकत यह हैं कि उपरोक्त भूखण्ड कदीम से पूनम सिंहजी के कब्जे स्वामित्व में ही रहा हैं, जिस पर पूनम सिंहजी व उनके वारिसान का निर्बाध व शांतिपूर्ण कब्जा निरंतर सर्वजन की जानकारी में हैं। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं। उपरोक्त भूखण्ड अथवा उसके किसी भी हिस्से पर प्रार्थी का आज दिन तक कभी भी कोई हक अधिकार नहीं रहा हैं। उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा पूनम सिंहजी के पुश्तैनी मकान में पड़ा था, जिसे संभवतः प्रार्थी द्वारा वहां से ले लिया, जिसके बारे में पूनम सिंहजी के वारिसान को कोइ जानकारी नहीं रही, तथा उक्त पटटा के गुम होने की ही जानकारी पूनम सिंहजी के वारिसान को है। वर्तमान में उपरोक्त भूखण्ड खाली पड़ा है, परन्तु उक्त भूखण्ड पर पूनमसिंहजी के समय से ही उनका वर्षो पुराना केलूपोश मकान बना हुआ था, एवं पट्टा जारी किये जाते वक्त भी उपरोक्त भूखण्ड पर पूनम सिंहजी का मकान बना हुआ था, जो वर्ष 2022 में गिरवाकर नया बनावाने हेतु पत्थर डलवाये थे। पूनमसिंहजी का गांव में पुश्तैनी मकान भी है। प्रश्नगन पट्टा नियम 157 का पूनम सिंह जी के पुराने मकान के विनियमितिकरण के तहत पूरी जांच कर व मौका मुआयना व सही रूप से मौके पर नाप—जोख कर पूनमसिंहजी के पक्ष में उनके पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अविधिकता नहीं हैं। पूनम सिंहजी के वारिसदार, वर्ष 2002 तक उपरोक्त स्थान पर बने मकान में निवास कर रहे थे व वर्ष 2022 में उपरोक्त स्थल पर के कच्चे मकान को ध्वस्थ करवाने के समय से ही अप्रार्थीगण फिर से उपरोक्त स्थान पर निर्माण पूरा होने तक के लिये गांव के पुश्तैनी मकान में निवास करने गये थे। यह कि प्रार्थी ने अतिशय विलम्ब से यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि निगरानी के लिये समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर भी उचित एवं युक्तियुक्त समय में

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

निगरानी पेश किया जानी चाहिये हैं। प्रार्थी को उपरोक्त पट्टा की पूर्ण जानकारी दिनांक 07–3–2002 से हैं। इस प्रकार, प्रार्थी का निगरानी आवेदन मियाद बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार के देरी से यह निगरानी आवेदन, केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने व उनसे अवैध रकम ऐंठने तथा अप्रार्थीगण का पुश्तैनी मकान हडफ करने की नियत से प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा श्री पुनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के हक में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19–12–2001 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19–12–2001 पर अंकित अनुसार उक्त पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत निःशुल्क जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें इस नियम में वर्णित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत, ''ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे–गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख), ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।''

पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19–12–2001 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी पाया कि उक्त पट्टा, प्रारुप 23 क और प्ररुप 23 ख में जारी नही किया गया है, बल्कि नीलामी व बाजार दर पर विक्रय किये जाने वाली भूमि के पट्टा विलेख प्रारुप 23 में जारी किया गया है। उक्त पट्टे की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19–12–2001 पर मिसल संख्या 115/2001–2002 दायर दिनांक 18–12–2001 अंकित है, जबकि उक्त पट्टा संख्या 1496 पर पट्टा जारी करने की दिनांक 19–12–2001 अंकित की हुई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही एक दिन में ही सम्पादित की गई है एवं पट्टे की मिसल दायर होने के दूसरे दिन ही पट्टा जारी किया गया है, जिस पर पंचायत के संकल्प संख्या व संकल्प की दिनांक भी अंकित नही है। इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही मिसल दायर होने के दूसरे दिन ही पट्टा जारी किया गया है, जिससे पट्टा जारी करने की कार्यवाही सन्देहप्रद प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में, उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा पुनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1496 दिनांक 19–12–2001 को निरस्त किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)